

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

आदेश की संख्या ..... बनाम मोहन सिंह आदि .....

संख्या 64 / 2023 अन्तर्गत धारा 312 RTA .....

क्र	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
-----	-----------------------------------	---

5 1524 /24	<p>अधिवक्तागण उपरिचिता प्राची अधिवक्ता के द्वारा प्राचीना पत्र अन्तर्गत धारा 312 RTA नोटिफिकेशन किया। प्राची अधिवक्ता को सूना गया व पत्रावली का अवलोकन किया। प्राची द्वारा प्राचीना पत्र अन्तर्गत धारा 312 RTA नोटिफिकेशन करने पर प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थायी निवेदना दिनांक 13/06/2023 भी निरस्त की जाती है। पत्रावली विनिर्णित होकर नम्बर से कम होकर वापस दफ्तर हो।</p>	
------------------	--	--



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर